सं0-90/2015/5101/62-2-2015-2/3(24)/2015

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 10 अगस्त,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर में केन्द्र पोषित रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टैस्टिकल योजना में सांख्यिकीय सेल के गठन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु धनराशि को अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-120/ल0सिं0/बजट-के0पो/2015-16, दिनांक 28-04-2015 व पत्र सं0-जी-164, दिनांक 23-06-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-321/2015, दिनांक 30-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टैस्टिकल योजना में सांख्यिकीय सेल के गठन हेतु प्राविधानित धनराशि `&44.52 लाख के सापेक्ष प्रथम छमाही के लिए धनराशि `&21.50 लाख (रूपया इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उपर्युक्त समग्र धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 में विनिर्ष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय/ नियमों/प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में चालू योजनाओं के अधीन केन्द्र पोषित/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में लघु सिंचाई के अन्तर्गत रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन सांख्यिकीय सेल के गठन पर व्यय हेतु है।

(3) अवमुक्त धनराशि को किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय और व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाये। आपको स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त् धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टैस्टिकल सेल का गठन (के. 100/रा. 00-के.) के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों"** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/

(भरत लाल राय)

विशेष सचिव।

सं0-90/2015/5101(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

3- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सांख्यकीय, लघु सिंचाई डिवीजन जल संशाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-90/2015/5101/62-2-2015-2/3(24)/2015, दिनांक 10 अगस्त,2015 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष् 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टैस्टिकल सेल का गठन (के. 100/रा. 00-के.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त कराये जाने वाले धनराशि का विवरण।

(हजार रूपये में)

नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
01-वेतन	1700	900
03-महंगाई भत्ता	2040	1100
04-यात्रा व्यय	60	15
05- स्था0 यात्रा व्यय	15	00
06-अन्य भत्ते	275	120
07-मनदेय	20	00
08-कार्यालय व्यय	30	4
09-विघुत देय	30	00
11-लेखन सामग्री व फार्मो की छपाई	30	3
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50	00
13-टेलीफोन पर व्यय	40	8
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	80	00
45-अवकाश यात्रा व्यय	5	00
47-कम्प्युअर अनुरक्षण/तत्संबंधी टेशनरी का क्रय	25	00
49-चिकित्सा व्यय	50	00
51-वर्दी	2	00
योग-	4452	2150

रूपया- इक्कीस लाख पचास हजार मात्र)

ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in